(41)

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष–एम0के0सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1668–दो/2004 विरुद्ध आदेश दिनांक 30.9.04 पारित द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना प्रकरण क्रमांक 143/ अपील/2002–2003.

1– बारेलाल
2– विनोद पुत्रगण लक्खा अहीर
निवासी ग्राम छुलावद तहसील
जौरा जिला मुरैना म0प्र0

---आवेदकगण

विरुद्ध

बदनसिंह पुत्र मोतीराम अहीर
निवासी ग्राम छुलावद मौजा
बागचीनी तहसील जौरा जिला
मुरैना म0प्र0

--- अनावेदक

आवेदकगण अधिवक्ता श्री श्रकृष्ण शर्मा
अनावेदक अधिवक्ता श्री ओ0 पी0 शर्मा

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4-5-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 143/अपील/2002-2003 में पारित आदेश दिनांक 30.9.2004 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम छुलावद मौजा बागचीनी तहसील जौर में स्थित विवादित भूमि क्रमांक 1345 लगायत 1349 एवं 1351 व 1352 में बन्दोवस्त के दौरान हुई त्रुटि को दुरस्त करने के लिये आवेदन पत्र आवेदकगण बारेलाल एवं विनोद कुमार द्वारा बन्दोवस्त अधिकारी मुरैना को प्रस्तुत किया गया जो अपर कलेक्टर मुरैना के न्यायालय में मुन्तकिल हुआ जिसे अपर कलेक्टर मुरैना ने अपने प्रकरण क्रमांक 27/अपील 2000-2001 पर दर्ज कर पारित आदेश दिनांक 30.12.2000 द्वारा बन्दोवस्त में कायम किये गये रास्ता को निरस्त करने तथा आवेदकगण के खाते की 6 विस्वा भूमि होते हुये भी उनके नाम नहीं की गई। इस त्रुटि को मौके की स्थिति एवं स्वत्व के आधार पर नक्शा एवं अभिलेख में सुधार किये जाने हेतु तहसीलदार जौरा को निर्देशित कर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने के आदेश दिये । इसके विरूद्ध अपर आयुक्त के यहां अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 31.10.2001 द्वारा स्वीकार की गई । इस न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पो0 द्वारा राजस्व मण्डल ग्वालियर ने अपने प्रकरण क0 निग0 61-दो/2002 में पारित आदेश दिनांक 31.1.2002 द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर विधिवत निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया था।

3- आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि पूर्व भूमिस्वामी रामस्वरूप थे। बन्दोवस्त के समय रामस्वरूप की सहमति से ग्रामवासियों के आवागमन के लिये रास्ता बनाया । उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि रामस्वरूप ने अनावेदकगण को भूमि बेच दी है । अनावेदक के एक शिकायती आवेदन पत्र अपर कलेक्टर को प्रस्तुत किया जो अपील में दर्ज हुआ संहिता की धारा 107 के तहत नक्शे में संशोधन किया जा सकता है इसमें धारा 107 के तहत

कार्यवाही नहीं करते हुये अपील की । नक्शा दुरुस्ती का आदेश पारित किया है।

4– अनावेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि सहायक बन्दोवस्त अधिकारी जौरा एवं तहसील का कोई आदेश नहीं है। अपीलांट की अपील निरस्त की जाकर अपर कलेक्टर मुरैना का आदेश स्थिर रखा जावे।

5– उभयपक्ष अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया । प्रकरण के अवलोकन से पाया जाता है कि सहायक बन्दोवस्त अधिकारी जौरा द्वारा बन्दोवस्त के दौरान सर्वे नंवर 1348 व 1349 में रास्ता कायम किया गया था, सहायक बन्दोवस्त अधिकारी के आदेश विरुद्ध आवेदकगण को अनुविभागीय अधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी, जो उनके द्वारा नहीं की। आवेदकगण ने त्रुटि सुधार के लिये कलेक्टर जिला मुरैना के यहां आवेदन प्रस्तुत किया, जो अपर कलेक्टर जिला मुरैना के यहां भेजा। अपर कलेक्टर जिला मुरैना ने उक्त आवेदन अपील में दर्ज कर आदेश पारित किया है । यह नहीं माना जा सकता कि धारा 107 के अन्तर्गत आदेश पारित किया है उसमें जो आदेश सहायक बन्दोवस्त अधिकारी द्वारा पारित किया है उसकी आदेश की प्रति निगरानी मेमों के साथ नहीं प्रस्तुत की है ।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.9.04 में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है । अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

एम0 के0 सिंह
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर